



F.No. 1/2/ (Uttarakhand)/2011-VS-CRS GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR GENRAL, INDIA V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

Email Id: drg-crs.rgi@nic.in

dated: 21-02-2021

CIRCULAR

Subject: Procedure for Registration of Death of Missing persons in the affected areas of Uttarakhand in Natural Calamity occurred on 7th February 2021.

In August, 2013, during floods in Uttarakhand, on the directions of the Inter-Ministerial Group (IMG) constituted under the Cabinet Secretary, this office had issued Standard Operating Procedure (SOP) vide circular dated 16th August, 2013 for registration of death of missing persons in the affected areas of Uttarakhand in natural calamity occurred on 16th June, 2013. The State Government of Uttarakhand has now requested the Registrar General and Census Commissioner, India to formulate a SOP for issuing death certificate after due inquiry in case of the missing persons of Uttarakhand and other States due to Natural Calamities occurred on 07th February, 2021. Accordingly, on lines of the aforesaid circular, the following procedure is communicated for necessary action by the concerned Chief Registrars of Births and Deaths.

- 2. As per the provision of Section 7(2) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969, the registration of birth and death has to take place at the place of occurrence of the event. In normal circumstances, the death is registered only on the reports from persons mentioned in section 8 of the RBD Act, 1969. However, in extraordinary cases like the one in Uttarakhand, reports from public servants after due enquiry can be made use of for registering the deaths.
- 3. As regards persons whose dead body has been found, it is needless to state that the normal process of issuing Death Certificates should be followed.
- 4. In case of missing persons, who in all likelihood have died but the dead body is not traceable, all reasonable efforts should be made to determine that the person has in all likelihood died in the natural calamity that occurred in Uttarakhand.



The following process of enquiry may be followed in this regard:

Process

The missing persons can be divided into the following categories:

- Permanent residents of the affected areas and permanent residents of the nearby areas of Uttarakhand who were present in the affected areas during the catastrophe.
- II. Residents of other districts of Uttarakhand who were present in the affected areas during the catastrophe.
- III. Tourists/persons from other States who were present in the affected areas during the catastrophe.

Process to be followed in the case of permanent residents of the affected areas and permanent residents of the nearby areas of Uttarakhand who were present in the affected areas during the catastrophe.

- i. A FIR/Missing Person Report should be filed by close relatives or next of kin at the place of residence of the person who is missing and presumed dead.
- ii. The FIR/Missing Person Report should be referred to the concerned Police Station under whose jurisdiction the person went missing. Notarized Affidavit regarding 'missing' should be filed by next to kin and should be kept as a permanent record.
- iii. The FIR/Missing Person Report should then be forwarded to the designated officer (Pargana Adhikari/SDM) of the affected area of Uttarakhand along with report of Police Station and supporting documents for identification like ration card, family register, bank passbook etc.
- iv. The designated officer should conduct a detailed enquiry regarding the missing person.
- v. Based on the enquiry as detailed above the designated officer of Uttarakhand should issue a speaking order regarding the provisional presumption of death.
- vi. The designated officer should then cause publication of the list of missing persons provisionally presumed dead in the Newspaper, Government Gazette in Hindi and English and also host the same on the Government Website for the purpose of obtaining Claims and Objections.
- vii. Claims and Objections should be received within 30 days.



- viii. If no claim or objection is received within the time period, the designated officer should issue the Death Certificate.
- ix. The death certificate should be made available free of cost to the next of kin. The death certificate should also be sent to the Police Station where the FIR/Missing Person Report was filed.
- x. In case of Claims and Objections, an appeal would lie with the Officer (District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of the State of Uttarakhand) immediately superior to the designated officer. After dealing with the appeal, speaking orders should be sent to the designated officer who would then take appropriate action to issue the death certificate or deny it.

Process to be followed in case of residents of other districts of Uttarakhand who were present in the affected areas during the catastrophe

- i. 'FIR/Missing Person Report' should be filed by close relatives or next of kin at the place of residence in the originating district.
- ii. If FIR/Missing Person Report has already been filed in calamity affected areas of Uttarakhand, the designated officer (Pargana Adhikari/SDM) of the affected area of Uttarakhand, should forward the same to the designated officer (Pargana Adhikari/SDM)/SHO of the police station at the place of usual residence in the district of origin of the missing person, for local enquiry at their end.
- iii. Notarized Affidavit regarding 'missing' to be filed by next of kin and to be kept as a permanent record.
- iv. The enquiring officer in the originating district should conduct enquiry to establish the following facts:
 - a. That the family members or relatives or friends of the person concerned had filed FIR/Missing Person Report well in time (within 15 days of the occurrence of the natural calamity). If it is beyond, this time limit, the reasons for approaching the police late should be enquired.
 - b. That the person concerned had travelled/staying to/in the affected areas of Uttarakhand on or before 07th February, 2021.
 - c. That the person has been missing after his departure for affected district of Uttarakhand.



- d. The enquiry report should be sent to the concerned designated officer at the affected areas of Uttarakhand.
- v. Based on the enquiry report of the officer in the originating district, the designated officer in affected areas of Uttarakhand should further enquire in to the fact of disappearance of the persons concerned, by looking into the data base of missing persons maintained by the missing persons cell at Dehradun by the State Government. He should also take into account all available information including the Statements of witnesses if any and last call data and other relevant data from mobile phone service providers to arrive at a conclusion regarding the death of the person. All available evidences may be taken into consideration before concluding whether the person has died or not. This may include police reports, enquiries from relief camps and affidavit submitted by the close relatives/next of kin etc.
- vi. Based on the enquiry as detailed above the designated officer of affected areas may issue a speaking order regarding the provisional presumption of death. This order should be communicated to the designated officer in originating district.
- vii. On receipt of such Order, the designated officer in the originating district should cause publication of the list of missing persons presumed dead in the Newspaper, Government Gazette in Hindi and English and also host the same on the Government Website for the purpose of Claims and Objections.
- viii. Claims and Objections may be received within 30 days.
- ix. If no claim or objection is received within the time period, the designated officer in the originating district should send a report to the designated officer in affected areas of Uttarakhand.
- x. Based on this report, the designated officer in affected areas of Uttarakhand should issue the Death Certificate.
- xi. The death certificate should be made available free of cost to the next of kin. The death certificate should also be sent to the Police Station where the FIR/Missing Person Report was filed and to the designated officer in the originating district.
- xii. In case of Claims and Objections, an appeal would lie with the officer (District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of the originating district of



Uttarakhand) immediately superior to the designated officer. After dealing with the appeal, speaking orders should be sent to the designated officer in affected areas of Uttarakhand, who would then take appropriate action to issue the death certificate or deny it.

Process to be followed in case of Tourists/persons from other States who were present in the affected areas during the catastrophe.

- i. FIR/Missing Person Report, to be filed by close relatives or next of kin at the place of residence in the originating State.
- ii. If FIR/Missing Person Report have already been filed in Uttarakhand, the designated officer (Pargana Adhikari/SDM) of Uttarakhand should forward the same to the designated officer (Pargana Adhikari/SDM)/SHO of the police station at the place of usual residence in the State of origin of the missing person for local enquiry at their end.
- iii. Notarized Affidavit regarding 'missing 'to be filed by next of kin and to be kept as a permanent record.
- iv. The enquiring officer in the originating State should conduct enquiry to establish the following facts:
 - a. That the family members or relatives or friends of the person concerned had filed FIR/Missing Person's Report well in time (within 15 days of the occurrence of the natural calamity). If it is beyond, this time limit, the reasons for approaching the police late should be enquired.
 - b. That the person concerned had travelled/staying to/in Uttarakhand on or before 07th February, 2021.
 - c. That the person has been missing after his departure for Uttarakhand. For arriving at his conclusion, the enquiry officer should also verify with reference to the data base maintained for this purpose by the Resident Commissioner of the originating State Government at New Delhi or the authorized officers of the State Government to conduct enquiries on missing persons from their States.
 - d. The enquiry report should be sent to the concerned designated officer at Uttarakhand.



- v. Based on the enquiry report of the officer in the originating State, the designated officer in Uttarakhand should further enquire into the fact of disappearance of the persons concerned, by looking into the data base of missing persons maintained by the missing persons cell at Dehradun by the State Government. He should also take into account all available information including the Statements of witnesses if any and last call data and other relevant data from mobile phone service providers to arrive at a conclusion regarding the death of the person. All available evidences maybe taken into consideration before concluding whether the person has died or not. This may include police reports, enquiries from relief camps and affidavit submitted by the close relatives/next of kin etc.
- vi. Based on the enquiry as detailed above the designated officer of Uttarakhand may issue a speaking order regarding the provisional presumption of death. This order should be communicated to the designated officer in the Originating State.
- vii. On receipt to such Order, the designated officer in the originating State should cause publication of the list of missing persons presumed dead in the Newspaper Government Gazette in the local language of the State and English and host the same on the Government Website for the purpose of Claims and Objections.
- viii. Claims and Objections may be received within 30 days.
- ix. If no claim or objection is received within the time period, the designated officer in the originating State should send a report to the designated officer in Uttarakhand.
- x. Based on this report the designated officer in Uttarakhand should issue the Death Certificate.
- xi. The death certificate should be made available free of cost to the next of kin. The death certificate should also be sent to the Police Station where the FIR/Missing Person Report was filed and to the designated officer in the Originating State.
- xii. In case of Claims and Objections, an appeal would lie with the Officer (District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of the originating State) immediately superior to the designated officer. After dealing with the appeal,



speaking orders should be sent to the designated officer in Uttarakhand, who would then take appropriate action to issue the death certificate or deny it.

5. For enabling this process the designated officer (Pargana Adhikari/ SDM) in Uttarakhand may be declared as a Registrar of Death under Section 7(1) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act,1969. In all the above cases, registration of death maybe done at the place of occurrence of death in accordance with provision made under Section 7(2) of RBD Act.

(Sandhya Singh) Deputy Registrar General

To,
The Chief Registrar of Births & Deaths of all States/UTs







फ.सं.1/2/(उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड -1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066

ईमेल: drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक: 21-02-2021

परिपत्र

विषयः उत्तराखंड में दिनांक 7 फरवरी, 2021 को घटित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों में लापता व्यक्तियों की मृत्यु के पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया।

अगस्त, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ के दौरान कैबिनेट सचिव के अधीन गठित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के निर्देश पर इस कार्यालय ने 16 जून, 2013 को आई प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की मौत के पंजीकरण के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2013 को परिपत्र के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 07 फरवरी, 2021 को घटित प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड और अन्य राज्यों के लापता व्यक्तियों के मामले में उचित जांच के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक मानक प्रक्रिया वर्तमान में तैयार करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से अनुरोध किया है। तदनुसार, उक्त परिपत्र की तर्ज़ पर, संबंधित जन्म एवं मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को सूचित/प्रेषित किया जाता है।

- 2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 7 (2) के प्रावधान के अनुसार, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु होने के स्थान पर किया जाना है। सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 8 में उल्लिखित व्यक्तियों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर ही किया जाता है। तथापि, उत्तराखंड जैसे असाधारण मामलों में लोक सेवकों से प्राप्त रिपोर्टों को यथोचित जांच के पश्चात मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- 3. जहां तक उन व्यक्तियों का संबंध है जिनके मृत शरीर प्राप्त हुए हैं, उनके मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की सामान्य प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाना चाहिए।



4. ऐसे लापता व्यक्तियों, जिनकी मृत्यु की पूर्ण संभावना है किन्तु मृत शरीर नहीं मिल पा रहा है, उनके उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में मृत होने की संभावना के निर्धारण के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में जांच- पड़ताल की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए:

प्रक्रिया

लापता व्यक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी निवासी और उत्तराखंड के आस-पास के क्षेत्रों के स्थायी निवासी जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे।
- उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे।
- आन्य राज्यों के पर्यटक / लोग जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में उपस्थित थे।

प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी निवासियों और उत्तराखंड के आस-पास के क्षेत्रों के स्थायी निवासियों जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे, के मामले में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया :

- ं. लापता और मृत मान लिए गए व्यक्ति के निवास के स्थान पर उसके सगे संबंधियों अथवा निकटतम संबंधियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए।
- ii. यह प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को भेजी जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति लापता हुआ था। 'गुमशुदगी' के संबंध में निकटतम संबंधी द्वारा नोटरीकृत शपथपत्र फाइल कराया जाना चाहिए और इसे स्थाई रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए।
- iii. इसके पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट, पुलिस थानेकी रिपोर्ट और राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक इत्यादि जैसे पहचान संबंधी सहायक दस्तावेजों सहित उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्र के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को भेजी जानी चाहिए।
- iv. नामोद्दिष्ट अधिकारी को लापता व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जांच-पड़ताल करनी चाहिए।
- v. ऊपर उल्लिखित जांच-पड़ताल के आधार पर उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को मृत्यु के अनन्तिम अनुमान के संबंध में एक व्याख्यात्मक आदेश जारी करना चाहिए।
- vi. इसके पश्चात नामोद्दिष्ट अधिकारी को अनन्तिम रूप से मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के प्रयोजन से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार पत्रों, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए तथा इसे सरकारी वेबसासइट पर भी डालना चाहिए।
- vii. दावे और आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए।



- viii. यदि निश्चित अवधि के भीतर कोई दावा अथवा आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाना चाहिए।
- ix. यह मृत्यु प्रमाणपत्र निकटतम सम्बन्धी को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । यह मृत्यु प्रमाणपत्र उस पुलिस थाने को भी भेजा जाना चाहिए जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ।
- प्र. दावों और आपित्तयों के मामले में नामोद्दिष्ट अधिकारी के तात्कालिक वरिष्ठ अधिकारी (उत्तराखंड राज्य के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / जिला कलेक्टर) के पास एक अपील की जाएगी । अपील पर कार्रवाई के पश्चात, नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजे जाने चाहिए जिसके आधार पर वह मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने अथवा इसे अस्वीकार करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा ।

उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासियों के मामले में जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे, के मामले में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया :

- मूल जिले में निवास के स्थान पर सगे संबंधी अथवा निकटतम संबंधी द्वारा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट' फाइल की जानी चाहिए।
- ii. यदि उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट पहले से फाइल की जा चुकी है, तो उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्र के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को इसे लापता व्यक्ति के मूल जिले में उसके सामान्य निवास के स्थान पर नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम)/थाना प्रभारी को स्थानीय स्तर पर जांच के लिए अग्रेषित करनी चाहिए।
- iii. 'लापता' के संबंध में निकटतम संबंधी द्वारा नोटरीकृत शपथ-पत्र फाइल किया जाना चाहिए और उसे स्थायी रिकार्ड के रूप रखा जाए।
- iv. निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जांच अधिकारी को मूल जिले में जांच-पड़ताल करनी चाहिए:
 - क. यह कि संबंधित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों अथवा मित्रों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट ठीक समय पर (प्राकृतिक आपदा की घटना के 15 दिनों के भीतर) फाइल की है। यदि यह इस समय सीमा के बाद की गई है तो पुलिस के पास देरी से जाने के कारणों की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए।
 - ख. यह कि संबंधित व्यक्ति उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में 07 फरवरी, 2021 से पहले या उस समय रह रहा था/यात्रा की थी।



- ग. यह कि व्यक्ति प्रभावित जिले के लिए प्रस्थान करने के बाद लापता हुआ है।
- घ. जांच रिपोर्ट उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- v. मूल जिले में अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर, उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा देहरादून में लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित लापता व्यक्तियों के डाटाबेस को देखकर संबंधित व्यक्तियों के गायब होने के तथ्य की अनुवर्ती रूप से जांच-पड़ताल करनी चाहिए। उसे व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त अन्य संगत डाटा, अन्तिम कॉल डाटा और यदि कोई गवाह है तो उसके बयान सहित सभी उपलब्ध सूचना को भी ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या नहीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें पुलिस रिपोर्ट, राहत शिविरों में की गई जांच-पड़ताल और सगे संबंधियों/निकटतम संबंधियों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र को शामिल किया जाएगा।
- vi. उपर्युक्त उल्लिखित जांच के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों का नामोद्दिष्ट अधिकारी मृत्यु की अनंतिम संभावना के संबंध में व्याख्यात्मक आदेश जारी करेगा । इस आदेश को मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी को संप्रेषित किया जाना चाहिए।
- vii. ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची को समाचार पत्र, सरकारी राजपत्र में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करवाना चाहिए और दावों तथा आपत्तियों के प्रयोजन से उसे सरकारी वेबसाइट पर भी डाल देना चाहिए।
- viii. दावे और आपत्तियां 30 दिनों के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए।
 - ix. यदि समयावधि के भीतर कोई दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं तो मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी को उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।
 - x. इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।
 - xi. यह मृत्यु प्रमाणपत्र निकटतम संबंधी को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मृत्यु प्रमाणपत्र उस थाने को जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट फाइल की गई है और मूल जिले में नामोद्दिष्ट अधिकारी को भी भेजा जाना चाहिए ।



xii. दावों और आपित्तियों के मामले में, नामोद्दिष्ट अधिकारी के तात्कालिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी (उत्तराखंड के मूल जिले के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / जिला कलेक्टर) के पास अपील की जाएगी। अपील पर कार्रवाई के पश्चात उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजे जाने चाहिए तािक इसके पश्चात वह मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने अथवा अस्वीकार करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

पर्यटकों / अन्य राज्यों के लोगों के मामले में जो इस त्रासदी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे, के मामले में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया :

- मूल राज्य में निवास के स्थान पर सगे संबंधी अथवा निकटतम संबंधी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट फाइल की जानी चाहिए।
- ii. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट पहले ही उत्तराखंड में फाइल की जा चुकी है, तो उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्र के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) उसे लापता व्यक्ति के मूल राज्य में सामान्य निवास के स्थान पर नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम)/थाने के थाना प्रभारी को स्थानीय जांच के लिए भेज देना चाहिए।
- iii. 'लापता' के संबंध में निकटतम संबधी द्वारी नोटरीकृत शपथ-पत्र फाइल किया जाना चाहिए और उसे स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जाए।
- iv. मूल राज्य के जांच अधिकारी को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जांच करनी चाहिए:
 - (क) यह कि परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों अथवा मित्रों ने संबंधित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट ठीक समय पर (प्राकृतिक आपदा की घटना के 15 दिनों के भीतर) फाइल की है। यदि यह इस समय सीमा के बाद फाइल की गई है तो पुलिस के पास देरी से जाने के कारणों की जांच की जानी चाहिए।
 - (ख) यह कि संबंधित व्यक्ति उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में 07 फरवरी, 2021 से पहले या उस समय रह रहा था/यात्रा की थी।
 - (ग) उत्तराखंड के लिए रवाना होने के बाद व्यक्ति लापता है इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए जांच अधिकारी को उनके राज्य से लापता होने वाले व्यक्तियों कि जांच करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करे अथवा नई दिल्ली में मूल राज्य सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखे गए डाटाबेस से जांच करे।
 - (घ) जांच रिपोर्ट उत्तराखंड में संबंधित नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।



- v. उत्तराखंड में नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मूल राज्य के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के लापता होने के बारे में आगे का जांच कार्य राज्य सरकार द्वारा देहरादून में बनाए गए लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित लापता लोगों के डाटाबेस में देखकर किया जाना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी को प्रत्यक्षदर्शी के बयान, यदि कोई हो, और मोबाइल सर्विस प्रदाता से व्यक्ति की अंतिम कॉल और मोबाइल से संबंधित अन्य संगत डाटा सहित उपलब्ध समस्त जानकारी का उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या नहीं इस बात का निर्णय करने के लिए सभी उपलब्ध प्रमाणों पर विचार करना चाहिए। इसमें पुलिस रिपोर्ट, राहत शिविरों से पूछताछ और सगे संबंधियों/निकटतम संबंधियों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र शामिल हो सकते हैं।
- vi. उपर्युक्त विस्तृत जांच के आधार पर उत्तराखंड का नामोद्दिष्ट अधिकारी अस्थायी रूप से मृत माने जाने के संबंध में व्याख्यात्मक आदेश जारी कर सकता है। इस आदेश को मूल राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।
- vii. इस आदेश की प्राप्ति पर संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची राज्य की स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी में समाचार पत्रों, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए और इस सूची को दावों अथवा आपत्तियों के प्रयोजन से सरकारी वेबसाइट में भी डाल देना चाहिए।
- viii.दावे और आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए ।
- ix. यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए।
- x. इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के पदनामित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।
- xi. निकटतम संबंधियों को मृत्यु प्रमाणपत्र नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मृत्यु प्रमाणपत्र उस पुलिस थाने, जहां एफआईआर/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी और संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भी भेजा जाना चाहिए ।
- xii.दावों और आपित्तियों की स्थिति में, पदनामित अधिकारी से तात्कालिक रूप से अधिकारी (मूल राज्य के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / जिला कलेक्टर) के पास एक अपील की जाएगी । अपील पर कार्रवाई करने के बाद उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजा जाना होगा जोकि



इसके पश्चात मृत्यु होने का प्रमाणपत्र जारी करने अथवा इसे अस्वीकार करने के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा।

5. इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 7(1) के अंतर्गत मृत्यु रजिस्ट्रार घोषित किया जाएगा। उपर्युक्त सभी मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण आरबीडी अधिनियम की धारा 7(2) के प्रावधान के अनुसार मृत्यु होने के स्थान पर किया जाए।

(संध्या सिंह) उप महारजिस्ट्रार

सेवा में, जन्म एवं मृत्यु के सभी मुख्य रजिस्ट्रार

